

न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-476/12
संस्थापित दिनांक-01.12.2012
Filling num-235103001502012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- धीरज सिंह पुत्र रतन सिंह उम्र 40 साल निवासी - ग्राम गोराकला तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0आरोपी

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 15.11.2017 को घोषित)

01- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 27.10.2012 को समय 11:30 बजे ग्राम गौरा में आरोपी के घर के पास रोड पर फरियादी त्रिलोक के साथ नुकीले दांतों से काटकर चोट पहुँचाकर उपहति कारित की।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी एवं अभियुक्त ने दिनांक **15.11.2017** को राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया। राजीनामा आवेदन शमनिय न होने से आवेदन पत्र निरस्त किया गया।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी त्रिलोक ने थाना आकर जुबानी रिपोर्ट किया आज दिनांक 27.10.2012 को 11:30 बजे की बात है वह अपने घर से चंदेरी आ रहा था। गाँव में जैसे ही धीरू लोधी अपने घर के सामने दारू पिये मिला और उसे देखते ही अकारण गाली देने लगा, उसने गाली देने से मना किया तो उससे झगडा करने लगा, झगडा में उसके रूपये गिर गये थे, सीधे हाथ की अंगुली में काट लिया था खून निकल आया था। प्रतिपाल मौके पर था उसने बचाया। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04- अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर

सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 27.10.2012 को समय 11:30 बजे ग्राम गौरा में आरोपी के घर के पास रोड पर फरियादी त्रिलोक के साथ नुकीले दांतों से काटकर चोट पहुंचाकर उपहति कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी त्रिलोक अ0सा01 ने अपने न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी को जानता है। घटना करीब 4-5 साल पहले की होकर दिन के 11-12 बजे की है। घटना दिनांक को वह अपने घर से चंदेरी आ रहा था और रास्ते में धीरू लोधी के घर के सामने से निकला तो धीरू लोधी उसके साथ वाद विवाद करने लगा उसने वाद विवाद करने से मना किया तो धीरू के साथ धक्का मुक्की में सीधे हाथ की अंगुली में मामूली खरोच आ गई थी, इसके अलावा आरोपी ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की। उक्त घटना के संबंध में उसने थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेख कराई थी जो प्र.पी.1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल कराया था। पुलिस घटना स्थल पर आई थी और घटना का मानचित्र प्र.पी.2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और पुलिस ने पूछताछ कर उसके कथन लिये थे।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर फरियादी त्रिलोक अ0सा1 ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि घटना के समय धीरू दारु पिए हुए था और अकारण ही उसके साथ गाली गलौच करने लगा। इस बात से इंकार किया कि झगड़े में उसके रूपये गिर गये थे। इस बात से इंकार किया कि धीरू ने उसके सीधे हाथ की अंगुली में काट लिया था, खून निकलने लगा था। इस बात से इंकार किया कि घटना स्थल पर प्रतिपाल मौजूद था जिसने उसे बचाया था। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.1 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट व कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया कि उसका आरोपी से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है और उसे बचाने के लिये असत्य कथन कर रहा है।

08— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर स्वयं फरियादी त्रिलोक द्वारा अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उक्त साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनो में व्यक्त किया है कि धक्का मुक्की में सीधे हाथ की अंगुली में मामूली खरोच आ आई थी। आरोपी ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 27.10.2012 को समय 11:30 बजे ग्राम गौरा में आरोपी के घर के पास रोड पर फरियादी त्रिलोक के साथ नुकीले दांतो से काटकर चोट पहुँचाकर उपहति कारित की। अतः आरोपी धीरा उर्फ धीरज पुत्र रामरतन के विरुद्ध धारा 324 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

09— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

10— प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

11— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
कर घोषित किया गया ।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0